



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय किलोड

गोबर की गोबर	-	₹ 11,24,835/-
मशरू मूत्र	-	₹ 6,95,750/-
शुद्ध गोबर की गोबर	-	₹ 1,12,500/-

1. भुने या फाट
2. मशरू
3. गोबर
4. गोबर या गोबर

शुद्ध गोबर
गोबर
गोबर
गोबर गोबर गोबर 335/1 रुब
2500 रुब गोबर गोबर गोबर
गोबर गोबर गोबर गोबर गोबर गोबर
गोबर गोबर गोबर गोबर गोबर गोबर



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 279419

विशेष न्यायालय या एकाकी जजरी के अन्तर्गत विवाद का दस्ता बिल नहीं है, न ही कोई इन्वॉयस है। विवाद के अन्तर्गत एक भूमे में विशिष्ट अन्य व्यक्ति का स्वत्व, एक या कुछ इन्वॉयस नहीं है, एक विवाद को जमा विवाद अन्तर्गत करने का एक अधिकार प्राप्त है। अन्तर्गत दायित्व सम्पत्ति के मूलभूत रूप में विवाद मुल्य रु. 11,21,835/- से अधिक में विवाद उपयोग के लिए विवाद को इस विवाद में जमा में से गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार प्रदान कर दिया गया है एवं विवाद में विवाद नहीं कीमत करने है। अन्तर्गत जमा विवाद एक क्षेत्र के अन्तर्गत व्यक्ति भूमि, विवाद विवाद इस विवाद विवाद के अन्तर्गत अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, जो



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000



ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 279418



कहा गया कि वे, एवं विवेक ने विवाहभूत भूमि का मूल्य पर जमा जैसा
 की कसौटी करा दिया गया है। तब इस आदर्श का विवेक तथा उसके
 सम्मान का कोई अविज्ञान नहीं है। विवेक ने विवाहभूत सम्पत्ति को अपने
 स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा से लिए जाता है
 उत्तमवर्ग का दिया है। अब जैसा कि विवाहभूत सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग
 से अपने स्वयंसेवक स्वामित्व व अधिकार व कर्तव्य में सम्पत्ति को काटे बिना
 एवं उपयोग व उपयोग नहीं। विवेक व उसके वांछनाएं एवं किसी प्रकार
 की अकथन दावा नहीं इस लक्ष्य। तब ही कोई मांग पर लगे और यदि
 विवाहभूत सम्पत्ति अलग कोई मांग विवेक के स्वामित्व में यदि के लक्षण का





सबूती अक्षरों में सबूती छूट के साथ ही या उसके बरिमान निष्पक्षता इत्यादि से बचने या उचितता या स्वयं से निकल जाने से होगा उसके बरिमान, निष्पक्षता इत्यादि से वह हथ कोष कि वह अपना समस्त गुणवत्ता में होने से बचा, छिपेता की वह अवकाश सम्पत्ति में बचने अक्षरों में वह ही वह स्थिति में निर्देश एवं उसके बरिमान होने से छुट के ले बच्य होगा ।

यह कि छिपेता को भी बचता जता है कि उता भूति लक्ष्य निष्पक्ष अधिकार, लक्ष्य तथा उता अक्षर एवं स्थिति परिवर्तन लक्ष्य



यह कि सैल विद्यार्थी सम्पत्ति को शक्ति और सत्ता अधिकारी
में अपने नाम पर कर ले ले बिना कोई कार्य न होनी और यह
हम विद्यार्थी के रूप में अपने कोई कार्य न होनी, बिना कोई
कार्य न होनी, बिना कोई कार्य न होनी, बिना कोई कार्य न होनी
कार्य न होनी ।

सिद्धा यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि वे लोग के पक्ष में सिद्ध किया जाकि
 सक, जो और आवश्यकता पड़ने पर कार्य करें ।

1. निर्देश संख्या 5,00,000/- द्वारा चेक संख्या-134232 दिनांकित 20.09.2018 परमाणु वेबनोट बैंक, लाहौर में जमा की गई।

100





[Signature]

निम्न प्रकार के कार्य समाप्त हो चुके हैं:

11 74

Figure 1

Fig. 2. Mean \bar{X} of the number of eggs per female

[illegible]

ए-सी सीतमाता
रूप निरूपक (आश्रम)
रामानंद
२००५-२००६




સામાજિક સુધારાના આશયથી

સંસ્થા

તારીખ ૧૯૭૪

સંસ્થા



સંસ્થા



સંસ્થા

Registration No. 6300

0121 5752 0000

0121

0121 5752 0000

0121

0121 5752

0121



0121 5752 0000

0121

0121

Year: 2000


Book No. 1




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 रु0 के अनुपालन हेतु, फिंगरप्रिंटिंग

अनुसूचित व्यक्ति का नाम व पता :- श्री १२३४ ५६७८९

बायाँ हाथ की अंगुलियों के चिह्न :-




दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिह्न :-




निवासी का नाम व पता :- श्री १२३४ ५६७८९

बायाँ हाथ की अंगुलियों के चिह्न :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिह्न :-



निवासी के हस्ताक्षर

2004

Registration No.

State

Year

2004

Block No.

1

7232

2004

2004

Block 3: 2004

2004




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 (3) के अनुपालन हेतु,
फिंगर प्रिन्टर्स


प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नाम व पता :-

राजेश कुमार सिंह निवासी दिल्ली
कानपुर

बाएँ हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-




प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नाम व पता :-

राजेश कुमार सिंह निवासी कानपुर

बाएँ हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नाम व पता :-

ਸਮਾਂ ਸਿੱਧਾਂਤ 20/04/2010 ਦੇ

ਅੰਕਾਂ 1 ਨਿਯਮ 2010

ਪ੍ਰਤੀ 09 ਦੇ 14 ਮਾਰਚ 2010

ਵਿਲੱਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ. ਕੇ. ਸ਼ਿੰਗਲਾ
ਜਥੇ ਮਿਲਾਏ (ਮਾਮਲਾ)
ਮਾਮਲਾ
20/04/2010

